

राजस्थान सरकार



रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 195 / भीलवाड़ा / 2003-2004


यह प्रमाणित किया जाता है कि जय नमोदिवल एज्युकेशनल सोसायटी भीलवाड़ा जिला - भीलवाड़ा का राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम संस्था 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया है।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज दिनांक 13

माह फरवरी सन् दो हजार चार को भीलवाड़ा

में दिया गया।




रजिस्ट्रार
संस्थाए, भीलवाड़ा